

प्रेषिका,

खैरुन निसा,  
अपर सिविल जज (क.श्र.)  
कक्ष संख्या-०८ इलाहाबाद।  
आई. डी. नं.- यू.पी. ३२३५

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश  
इलाहाबाद।

विषय - विधि स्नातकोत्तर न्यायिक अधिकारी को अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनि खैरुन निसा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा वर्ष २०५८ में नियुक्त होकर दिनांक १४.१२.२०१९ से जनपद न्यायालय इलाहाबाद में अपर सिविल जज कनिष्ठ अणी कक्ष संख्या ०८ के पद पर अपना योगदान दिया है एवं वर्तमान में समय कार्यरत है। प्रार्थिनि द्वारा में योगदान से पूर्व वर्ष २०१६ में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, द्वारा विधि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर चुकी है।

प्रार्थिनि के सेवा में योगदान उपरांत अवगत हुआ है कि शासनादेश संख्या १३६/दो-४-२०१७-४५(१२)टी.सी. दिनांक १३ मई २००९ एवं सहपठित शासनादेश पत्रांक संख्या १७०७/दो-४-२०११-४५(१२)टी.सी. दिनांक ३.१.२०१३ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनि को नियमानुसार तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज देने की जाए।

Office of the District Judge, Allahabad  
Letter No. 187C/ Dated 2-11-2020  
Follow up.  
District Judge, Allahabad

भवदीय  
Khaireenisa  
खैरुन निसा,  
18/11/2020

अपर सिविल जज (क.श्र.)  
कक्ष संख्या-०८ इलाहाबाद।  
आई. डी. नं.- यू.पी. ३२३५

संलग्न-

१. विधि स्नातकोत्तर की अनिम वर्ष का अंक पत्र की प्रति
२. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रति।